






खण्ड-1 (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग







1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **	महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण	
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग


4	5			6	7
					
	 पति का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण**			मोबाइल नम्बर पति/महिला/परिवार (उल्लेखित करें)	पृष्ठ क्रमांक***
बैंक एवं शाखा का नाम/ उपलब्ध नहीं	आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक एवं शाखा का नाम/ उपलब्ध नहीं		

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें।
 ***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

EC - 1



1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो "लागू नहीं" लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/ लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।



खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

EC - 2

14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग

15



(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोलियां (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)

मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)

क्रमांक	माह → महिला का नाम	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
		भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	
1.																										
2.																										
3.																										
4.																										
5.																										
6.																										
7.																										
8.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

**आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।